

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के व्यय वहन की वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षति पूरक वृक्षारोपण करने तथा उसके अनुरक्षण के लिये वन विभाग सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 कि. मी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। यदि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण करने की वचनवद्धता दी जाती है।

क्षति पूरक वृक्षारोपण
17
Divisional Forest Officer,
Avadh Forest Division,
U.P., Lucknow

